

04.01.23

अधिवक्ता उममपस डफ। प्राची  
 अधिवक्ता न अप्राची 1. 15.15, 16  
 17, 18, 19 की तलवी आदिनांक तक  
 नहीं कराई है। प्राची अधिवक्ता के  
 दिनांक 01.07.22 के अप्राची का की  
 लकी नहीं कराई है। कोश प्रमिपक  
 डीपी की के वर करवाही करवा ही दिनांक  
 की गई थी। परन्तु प्राची अधिवक्ता न अप्राची का  
 की लकी है। नीति तलवका फेच नहीं विच्य  
 अतः प्रकलन के कोश प्रमिपक डीपी के वर  
 कारवाही की जाकर प्रकलन 15/11/23,  
 आगत पर विदित जाकर कारवाही के अर्थ  
 प्रमाण सह पर कारवाही किया जाये।  
 कारवाही गहरी करवा है। कारवाही का  
 पंजीक के हक के हक की जाकर विचय  
 की प्रची के शापिक है।

